निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1337) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

अधिसूचना संख्या– 04/2026–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 228, दिनांक 30 अक्तूबर 2026— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम– 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या–04/2017– राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 547, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2क.	1518	खाना पकाने का प्रयुक्त तेल	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति";

(ii) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3ख.	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
3ग.	4004	टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति";

(iii) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[(सं०सं०– बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–22) 04)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

---

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 228, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०– बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–22) 04)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th October 2026

Notification No 04/2026- State Tax (Rate)

S.O. 228, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Tax Department notification No. 4/2017- State Tax (Rate) dated 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide No. 547 dated 29.06.2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(i) after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2A.	1518	Used cooking oil	Any unregistered person	Any registered person";

(ii) after S. No. 3A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B.	3915	Waste and scrap of plastics	Any unregistered person	Any registered person
3C.	4004	Waste and scrap of tyres	Any unregistered person	Any registered person";

(iii) after S. No. 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	8549	Electrical and electronics waste and scrap	Any unregistered person	Any registered person".

2. This notification shall come into force with from 1st November, 2026.

[(FileNoBikrikar/GST/vividh-21/2017(Part-22)04)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1337-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in